पत्र संख्या–11/आ0नी0–I–06/2016 सा0प्र0 14208

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष, बिहार।

पटना–15, दिनांक– 19-10-16

विषय :– बिहार अधिनियम–3/1992 के प्रावधानों के आलोक में बिहार राज्य की आरक्षण नीति के अनुश्रवण हेतु सम्पर्क पदाधिकारी प्राधिकृत करने के संबंध में।

महोदय,

बिहार राज्य की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु सभी विभागों में एक सम्पर्क पदाधिकारी प्राधिकृत करने का प्रावधान बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991, बिहार अधिनियम–3/1992 में किया गया है।

2. बिहार अधिनियम–3/1992 की धारा–8 में उपर्युक्त के निमित्त प्रावधान निम्नवत् हैं :–

धारा–8 – सम्पर्क पदाधिकारी :– सरकार के हरेक विभाग में, स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी को, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति के नीचे का न हो, इस अधिनियम द्वारा उपबंधित मामले के संबंध में सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए विभागीय सचिव द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा और वह निम्नलिखित का उत्तरदायी होगा :–

(क) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबंधों का समूचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना ;
(ख) अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना ;
(ग) विवरणियों का समय पर उपस्थापन सुनिश्चित करना ;
(घ) रोस्टरों और यथाविहित ऐसे अन्य अभिलेखों का वार्षिक निरीक्षण सुनिश्चित करना ;
(ड़) प्रशासनिक विभाग और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के बीच सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में कार्य करना ;
(च) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के संगठन या किसी व्यक्ति से प्राप्त परिवादों के अन्वेषण में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग और आरक्षण आयुक्त को आवश्यक सहायता सुनिश्चित करना ;

3. वर्त्तमान समय में राज्य की आरक्षण नीति के आयाम में वृद्धि हुई है। सभी आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के साथ ही राज्य सरकार की नीति के अन्तर्गत सीधी नियुक्ति में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण एवं विकलांगता आधारित 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का नया प्रावधान प्रभावी किया गया है। इसलिए प्रत्येक विभागों में इसके अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु नये सिरे से सम्पर्क पदाधिकारी प्राधिकृत किया जाना नितान्त आवश्यक प्रतीत होता है।

4. अतः बिहार अधिनियम–3/1992 की धारा–8 के आलोक में अपने विभाग के अधीन बिहार राज्य की आरक्षण नीति के अनुपालन एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय स्तर पर एक सम्पर्क पदाधिकारी, जो उप सचिव से अन्यून हों, नामित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को एक सप्ताह के भीतर नामित पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं दूरभाष संख्या उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। ये नामित पदाधिकारी कंडिका–2 एवं 3 में वर्णित दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक माह अनुश्रवण हेतु विभागीय मासिक प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

18/07/2016

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।